FORM No. 111

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी आहोर मुकाम आहोर

तहसीलदार आहोर बनाम ....तुलसाराम वल्द नाथाराम कौम मेघवाल

किस्म मुकदमा अन्तर्गत धारा 136 L.R.Act 1956 नम्बर.........71/...सन् 2019

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	सम्मन व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल जारी हुए
11/11/19	तहसीलदार आहोर द्वारा दिनांक ...11/11/19...... के जरिये मौजा......सांपणी........ के वर्तमान खसरा नम्बर .....53/76........ में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत रेकर्ड दुरूस्ती हेतु पेश किया गया है जिसे दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर संबंधित पक्षकारान को जरिये नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली आगामी कार्यवाही हेतु दिनांक...13.11.2019....को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी आहोर, जिला-जालोर (राज.)	
13-11-19	पत्रावली आज पेश हुई अप्रार्थीगणों के नोटिस तामील हुआ व आइन्दा तामील प्राप्त हो पत्रावली शामिल हो। निर्णय [illegible] लिखा जाकर पत्रावली शामिल हो पत्रावली फैसल शुमार होकर [illegible] से जमा हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी आहोर (जालोर)	

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आहोर, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी – श्री प्रशांत शर्मा– **RAS**

प्रार्थी तहसीलदार आहोर	बनाम	अप्रार्थी तुलछाराम पुत्र लादाराम जाति मेघवाल वगैरह

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 L.R.R. Act 1956

प्रकरण सं. 757/2019

निर्णय दिनांक 13-11-19

निर्णय

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि भू–अनिरीक्षक बादनवाडी व पटवारी हल्का देच्छू द्वारा जरिये तहसीलदार आहोर के प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 L.R.R. Act 1956 पेश कर मौजा सांपनी में केवल नक्शा शीट मोमी ट्रेस नक्शा व नक्शा लटटा में दर्ज खसरा नम्बर 53/76 द्वितीय भू–प्रबन्ध में दर्शाया गया है जबकि उक्त खसरा नम्बर मिसल बन्दोबस्त व जमाबन्दी में दर्ज नही है जिस कारण से जमाबंदी व नक्शा में भिन्नता होने के कारण डी.आई.एल.आर.एम.पी योजना अन्तर्गत वन टू वन मेपिंग नहीं हो पा रही है। इसलिए तहसीलदार आहोर द्वारा उक्त प्रकरण इस न्यायालय में दुरस्ती आदेश जारी करने हेतु पेश किया गया। उक्त प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर पत्रावली कायम कर जरिये नोटिस संबंधित पक्षकारान् को साक्ष्य सबूत व सुने जाने हेतु तलब किया गया। संबंधित पक्षकारान् को जरिये नोटिस सूचित करने के उपरान्त भी अपना जवाब या साक्ष्य सबूत पेश नहीं किया गया इसलिए एक तरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया। भू–अनिरीक्षक बादनवाडी व पटवारी हल्का देच्छू की रिपोर्ट अनुसार मौजा सांपनी में खसरा नम्बर 53 के पास नया ख.नं. 53/76 दर्ज कर नक्शे में दर्शाया गया है जो सेटलमेन्ट विभाग के खसरा पत्रक के अवलोकन करने पर खसरा नम्बर का राजस्व रेकर्ड में कोई इन्द्राज नही है। भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा सीधा ही मोमी ट्रेस नक्शा व लटठा नक्शा में इन्द्राज किया गया है जो गलत है। ख.नं. 53/76 मूल ख.नं. 53 का ही भाग है। अतः ख. नं. 53/76 को नक्शा ट्रेस व मोमी ट्रेस में से विलोपित किया जाना उचित है। तथा तहसीलदार आहोर द्वारा उक्त दुरस्ती करने की अनुशंषा की है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का गहन अध्ययन एवं मनन किया गया। मौजा सांपनी में खसरा नम्बर 53 के पास नया ख.नं. 53/76 दर्ज कर नक्शे में दर्शाया गया है जो सेटलमेन्ट विभाग के खसरा पत्रक के अवलोकन करने पर खसरा नम्बर का राजस्व रेकर्ड में कोई इन्द्राज नही है। भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा सीधा

उपखण्ड अधिकारी
आहोर (जालोर)

Scanned by CamScanner

ही मोमी ट्रेस नक्शा व लटठा नक्शा में इन्द्राज किया गया है जो गलत है। ख.नं. 53/76 मूल ख.नं. 53 का ही भाग है। अतः ख. नं. 53/76 को नक्शा ट्रेस व मोमी ट्रेस में से विलोपित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

उपरोक्त विवेचना के आधार पर मौजा सांपनी के खसरा नम्बर 53/76 को मोमी ट्रेस नक्शा व लटठा नक्शा में से विलोपित करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार आहोर को निर्णय की पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

कार्यालय-उपखण्ड अधिकारी आहोर, जिला-जालोर (राज.) सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
आहोर

उपखण्ड अधिकारी
आहोर (जालोर)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Prashant Sharma
Date: 2019.12.28 14:41:00 IST
Reason: SelfAttested
Location: